

संख्या ए-उ 20014/17/02-प्रशासन

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

भूमि तथा विकास कार्यालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली ।

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या ए- 11014/3/03-प्रशासन (एलएण्डडी ओ)/882 दिनांक 18.9.2006 द्वारा दिनांक से नियमित आधार पर अधीक्षक के ग्रेड में पदोन्नत होने पर श्री, अधीक्षक का वेतन एपआर 22(1)(क)(1)के तहत के वेतनमान में एद्वतद्वारा निर्धारित किया जाता है:-

(i)	रूपये के वेतनमान मेंको वेतन	रूपये
(ii)	के वेतनमान में एक नोशनल वेतनवृद्धि देने के बाद वेतन	रूपये
(iii) पदोन्नत वेतनमान.....	अगलीश्रेणी	रूपये
(iv) दिनांक से.....	के वेतनमान में वेतन	रूपये
(v) वेतनवृद्धि की अगली तारीख		रूपये

उपर्युक्त निर्धारित लेखा परीक्षा के अधीन है और अतिरिक्त भुगतान, यदि होता है तो बाद में व्यक्ति से बकाया या अन्यथा के रूप में वसूल लिया जाएगा ।

0

जन सम्पर्क अधिकारी

सेवा में,

वेतन एवं लेखा अधिकारी(सचिवालय)
शहरी विकास मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली ।

प्रति:-

1. लेखा, आर्थिक तथा सेवा मंत्रालय के मुख्य निदेशक, एजीसीआर बिल्डिंग, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली ।
2. बिल ग्रुप (दो प्रतियां) ।
3. संबंधित अधिकारी ।
4. सेवा पंजिका/ व्यक्तिगत फाईल ।
5. बजट सहायक / सतर्कता अनुभाग/ हिन्दी अनुभाग ।
6. कार्यालय आदेश रजिस्टर ।